तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/9/13	पत्रावली पेश हुई। उ0प0 07R11 CRC [illegible] लिखा जाकर दावा वादी खारिज किया जाता है। [illegible] विवादित [illegible] से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] हो [illegible] आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:38:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

श्रीमति सरूप कंवर आयु 76 साल पत्नि ईश्वरपाल जाति राजपूत निवासी करौली हाल निवासी पातरी तन बिचपुरी तहसील व जिला करौली

—वादिया

बनाम

1. ज्ञानेन्द्र पाल
2. उमेन्द्र पाल — पिसरान ईश्वरपाल जाति राजपूत निवासी छोटी हवेली फूटाकोट करौली तहसील करौली
3. सत्येन्द्र पाल
4. धीरेन्द्र पाल
5. जितेन्द्र पाल — पिसरान ईश्वरपाल जाति राजपूत निवासी करौली हाल निवासी पातरी तन बिचपुरी तहसील करौली
6. शिवेन्द्र पाल
7. मुनेन्द्र पाल
8. पुष्पेन्द्र पाल — पिसरान कैलाशपाल
9. रेखा पुत्री कैलाश पाल
10. शोभा पुत्री कैलाश पाल — जाति राजपूत निवासीयान छोटी हवेली फूटाकोट करौली
11. गोविन्द सिंह
12. राघवेन्द्र — पिसरान श्रीमति अशोक पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मुरैना मध्यप्रदेश
13. रूकमणी पुत्री श्रीमती अशोक पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मुरैना मध्यप्रदेश
14. श्रीमती प्रेम कुमारी धर्म पत्नि ज्ञानेन्द्र पाल जाति राजपूत निवासी छोटी हवेली फूटा कोट करौली तहसील व जिला करौली
15. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट मय प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मुकदमा नं. 19/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री पीयूष शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादी नंबर 6 ता 10 आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादिया अप्रार्थी वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....25.9.25.................. को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2025.11.07 10:38:23 IS
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—19 / 16　　　　　　　　　　तारीख रजु:—19.05.2016

उनवान

श्रीमति सरूप कंवर आयु 76 साल पत्नि ईश्वरपाल जाति राजपूत निवसी करौली हाल निवासी पातरी तन बिचपरी तहसील व जिला करौली

—वादिया

बनाम

1. ज्ञानेन्द्र पाल
2. उमेन्द्र पाल — पिसरान ईश्वरपाल जाति राजपूत निवासी छोटी हवेली फूटाकोट करौली तहसील करौली
3. सत्येन्द्र पाल
4. धीरेन्द्र पाल
5. जितेन्द्र पाल — पिसरान ईश्वरपाल जाति राजपूत निवासी करौली हाल निवासी पातरी तन बिचपरी तहसील करौली
6. शिवेन्द्र पाल
7. मुनेन्द्र पाल
8. पुष्पेन्द्र पाल — पिसरान कैलाशपाल
9. रेखा पुत्री कैलाश पाल
10. शोभा पुत्री कैलाश पाल — जाति राजपूत निवासीयान छोटी हवेली फूटाकोट करौली
11. गोविन्द सिंह
12. राघवेन्द्र — पिसरान श्रीमति अशोक पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मुरैना मध्यप्रदेश
13. रूकमणी पुत्री श्रीमती अशोक पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मुरैना मध्यप्रदेश
14. श्रीमती प्रेम कुमारी धर्म पत्नि ज्ञानेन्द्र पाल जाति राजपूत निवासी छोटी हवेली फूटा कोट करौली तहसील व जिला करौली
15. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:38:23 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 आर टी [illegible] मय प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

—::निर्णय::—

दिनांक:— 25।9।[illegible]

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया द्वारा उक्त वाद पत्र धारा 88, 188 आर टी एक्ट का प्रतिवादीगण के विरूद्व, प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण में वादिया एवं

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 1/2 हक व हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का 1/2 हक व हिस्सा है। वाद पत्र में दर्ज आराजीयात के बंटवारे का दावा पूर्व से ही उनवानी कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द पाल वगै0 मुकदमा नंबर (92/83) नया 1/2018 न्यायालय हाजा में पूर्व से ही विचाराधीन था जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 मुकदमा पक्षकार पूर्व से ही है। इस प्रकरण में बंटवारा की फाईनल डिक्री बन गई है तथा विवादग्रस्त भूमियों की बंटवारा स्कीम आ गई। फाईनल डिक्री के आधार पर वादिया एवं उसके समस्त पुत्र पुत्रियों को विवादित आराजीयातों में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया है। जिसके समर्थन में सत्यप्रति जमाबंदी प्रस्तुत है। वादिया इस अनावश्यक दावा के माध्यम से तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर रही है। वादिया द्वारा उक्त प्रकरण में चाही गई दादरसी वादिया को पूर्व के प्रकरण स ही प्राप्त हो चुकी है और वादिया का विवादित आराजीयातों में मुताबिक कानून हिस्सा दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होकर जमाबंदी में अमल हो गया है। इसलिए अब उक्त दावा का कोई उददेश्य नहीं रहा है ना ही दावा का वाद कारण रहा है। इसलिए दावा वादिया किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। दावा वादिया खारिज फरमाया जावे। वादिया उक्त प्रकरण में वर्णित भूमियों से संबंधित विचाराधीन पूर्व के प्रकरण उनवानी कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द्र पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 1/2018 में स्वंय वाहैसियत प्रतिवादिया पक्षकार है एवं उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मय पुत्रियों के मुकदमा पक्षकार है। वादिया द्वारा न्यायालय को गुमराह कर पूर्व में विचाराधीन प्रकरण उनवानी कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 1/2018 की क्रियान्विति को प्रभावित करना चाहती थी तथा जानबूझकर पूर्व के प्रकरण में मुकदमा पक्षकार अपनी पुत्रियों स्नेहलता, लक्ष्मी को एवं स्व0 सुनीता पुत्री ईश्वर पाल के विधिक प्रतिनि[illegible]पति वीरपाल सिंह चौहान एवं पुत्र–पुत्री अखण्ड प्रता[illegible] इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि यह तीनों पुत्रियां व इ[illegible] विधिक प्रतिनिधि आवश्यक मुकदमा पक्षकार है तथा इस तथ्य की पूर्ण रूपेण जानकारी वादिया स्वरूप कंवर को है तथा स्वरूप कंवर द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए झूंठा शपथ पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। वादिया द्वारा उक्त दावा के माध्यम से धारा 88, 188 आर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:38:23
Reason: SelfAttested

टी एक्ट के तहत विवादित आराजीयात के बाबत दादरसी चाही गई है जबकि पूर्व के प्रकरण कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द्र पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 01/2018 में न्यायालय हाजा द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम के तहत फाईनल डिक्री पारित कर दी है। जिसकी पालना भी न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर अमल करवाते हुए करवा दी गई है जिसके आधार पर वादिया विवादित आराजीयात में मुताबिक कानून अपने हिस्से की आराजीयात की खातेदार काश्तकार घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल हो चुका है। अब वादिया इस दावे के माध्यम से कोई अतिरिक्त लाभ न्यायालय हाजा से प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वादिया द्वारा चाही गई दादरसी पूर्व के दावा से ही वादिया को प्राप्त हो चुकी है। इस कारण उक्त प्रकरण में वादिया का बेसिस ऑफ द सूट समाप्त हो जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। अंत में दावा वादिया खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर दावा हाजा में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो अदालत हाजा द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा दावा हाजा में जबाव दावा पेश किया गया है। पक्षकारों के अभिवचन के अनुसार तनकीयात कायत की जानी है और तनकीआत कायम होने के बाद, बाद साक्ष्य इस प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में तथ्यों व कानून का समावेश है, जो पक्षकारों की साक्ष्य के बाद ही तय किया जाना है। दर0 में प्रतिवादीगण द्वारा तथ्य दर्ज किया है कि वादिया के नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गया है, गलत दर्ज किया है। वादिया के हक में अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के हिस्से का नामान्तरण खुलकर इन्द्राज नहीं हुआ है। वादिया का दावा घोषणा [illegible] का है। अतः में दर0 प्रतिवादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 1/2 हक व हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का 1/2 हक व हिस्सा है। वाद पत्र में दर्ज आराजीयात के बंटवारे का दावा पूर्व से ही उनवानी कैलाश पाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:38:23 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बनाम ज्ञानेन्द पाल वगै0 मुकदमा नंबर (92/83) नया 1/2018 न्यायालय हाजा में पूर्व से ही विचाराधीन था जिसमें वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 मुकदमा पक्षकार पूर्व से ही है। इस प्रकरण में बंटवारा की फाईनल डिक्री बन गई है तथा विवादग्रस्त भूमियों की बंटवारा स्कीम आ गई। फाईनल डिक्री के आधार पर वादिया एवं उसके समस्त पुत्र पुत्रियों को विवादित आराजीयातों में मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया है। वादिया द्वारा उक्त प्रकरण में चाही गई दादरसी वादिया को पूर्व के प्रकरण स ही प्राप्त हो चुकी है और वादिया का विवादित आराजीयातों में मुताबिक कानून हिस्सा दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होकर जमाबंदी में अमल हो गया है। इसलिए अब उक्त दावा का कोई उददे्श्य नहीं रहा है ना ही दावा का वाद कारण रहा है। इसलिए दावा वादिया किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। वादिया उक्त प्रकरण में वर्णित भूमियों से संबंधित विचाराधीन पूर्व के प्रकरण उनवानी कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द्र पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 1/2018 में स्वंय वाहैसियत प्रतिवादिया पक्षकार है एवं उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मय पुत्रियों के मुकदमा पक्षकार है। वादिया द्वारा न्यायालय को गुमराह कर पूर्व में विचाराधीन प्रकरण उनवानी कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 1/2018 की क्रियान्विति को प्रभावित करना चाहती थी तथा जानबूझकर पूर्व के प्रकरण में मुकदमा पक्षकार अपनी पुत्रियों स्नेहलता, लक्ष्मी को एवं स्व0 सुनीता पुत्री ईश्वर पाल के विधिक प्रतिनिधि उसके पति वीरपाल सिंह चौहान एवं पुत्र–पुत्री अखण्ड प्रतापसिंह, ज्योति चौहान को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि यह तीनों पुत्रियां व इनके विधिक प्रतिनिधि आवश्यक मुकदमा पक्षकार है तथा इस तथ्य की पूर्ण रूपेण जानकारी वादिया स्वरूप कंवर को है तथा स्वरूप कंवर द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए तथ्यों को छिपाते हुए झूंठा शपथ पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। वादिया द्वारा उक्त दावा के माध्यम से धारा 88, 188 आर टी एक्ट के तहत विवादित आराजीयात के बाबत दादरसी चाही गई है जबकि पूर्व के प्रकरण कैलाश पाल बनाम ज्ञानेन्द्र पाल वगै0 मुकदमा नंबर 92/83 नया 01/2018 में न्यायालय हाजा द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम के तहत फाईनल डिक्री पारित कर दी है। जिसकी पालना भी न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर अमल करवाते हुए करवा दी गई है जिसके आधार पर वादिया विवादित आराजीयात में मुताबिक [illegible] अपने हिस्से की आराजीयात की खातेदार काश्तकार [illegible] राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल हो चुका है। अब वादिया इस [illegible] माध्यम से कोई अतिरिक्त लाभ न्यायालय हाजा से प्राप्त नहीं कर सक[illegible] क्योंकि वादिया द्वारा चाही गई दादरसी पूर्व के दावा से ही वादिया को प्राप्त हो चुकी है। इस कारण उक्त प्रकरण में वादिया का बेसिस ऑफ द सूट समाप्त हो जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। अंत में दावा वादिया खारिज किये जाने का निवेदन किया अतः प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:38:2
Reason: SelfAttested

सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादीया वाद कारण के अभाव में खारिज जावे।

वकील अप्रार्थीयान सायलान का बहस में कथन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर दावा हाजा में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जो अदालत हाजा द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। पक्षकारों के अभिवचन के अनुसार तनकीयात कायत की जानी है और तनकीआत कायम होने के बाद, बाद साक्ष्य इस प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में तथ्यों व कानून का समावेश है, जो पक्षकारों की साक्ष्य के बाद ही तय किया जाना है। दर0 में प्रतिवादीगण द्वारा तथ्य दर्ज किया है कि वादिया के नाम जमाबंदी में इन्द्राज हो गया है, गलत दर्ज किया है। वादिया के हक में अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के हिस्से का नामान्तरण खुलकर इन्द्राज नहीं हुआ है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी से संबंधित दावा 92/83 नवीन मुकदमा नंबर 1/2018 दिनांक 31.7.2023 को न्यायालय हाजा से निर्णित हो चुका है। जिसमें वादीया अप्रार्थी स्वरूप कंवर प्रतिवादी नंबर 6 दर्ज है। उक्त दावा अंतिम डिक्री हो चुका है। इस प्रकार वादीया को यह पुनः वाद पेश करने का वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्व विधि अनुसार प्राप्त नहीं होता है। मामले का अंतिम निस्तारण हो जाने से दावा वादिया अप्रार्थी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वादकारण के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादी नंबर 6 ता 10 आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादिया अप्रार्थी वादकारण के अभाव में खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....20/9/24........ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मी...)
उपखण्ड अधिकारी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Ra
Date: 2025.11.07 10:38:23
Reason: SelfAttested